Request. 123

<u>आदेश</u>

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के पैराग्राफ 246 सपठित राजाज्ञा संख्या- बी-3-2444 (2)/दस-98-20 (19)/98 मो०का० दिनांक 26.5.98 के अन्तर्गत श्री काली चरन, सीविल जज (अवर वर्ग) पौड़ी गढ़वाल को रू0 80,000/- (रू0 अस्सी हजार मात्र) का अग्रिम मोटर कार खरीदने के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है:-

1· अग्रिम की धनराशि स्वीकृति की तिथि से एक माह के अन्दर आहरित कर लिया जाय और अग्रिम की धनराशि प्राप्त कर लेने के एक माह के अन्दर मोटर कार अवश्य खरीद लिया जाय अन्यथा उपरोक्त आदेश रद्द कर दिया जायेगा।

2· अग्रिम का रुपया आहरित करने के लिये बिल प्रस्तुत करने के पूर्व एक अनुबन्ध पत्र (फार्म नं0 25-ए) पर भर कर सीधे इस न्यायालय को भेजा जाय। तदुपरान्त मोटर कार क्रय किया जाय और अनुबन्ध पत्र की तिथि से एक माह के अन्दर फार्म 25 पर बन्धक पत्र भर कर उसके प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करके न्यायालय को भेजा जाय।

3· यदि मोटर कार का वास्तविक मूल्य अग्रिम की धनराशि से कम हो तो बची हुई धनराशि शीघ्र कोषागार में वापस कर दी जाय।

4· अग्रिम पर अनन्तिम रूप से 18.5 प्रतिशत साधारण ब्याज लिया जायेगा किन्तु नियमित रूप से ऋण/ब्याज के प्रतिदान/भुगतान होने पर ब्याज में 3·5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। ब्याज की जो दरें अंतिम रूप से निर्धारित होगी वह अग्रिमी को मान्य होगी।

5· वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 भाग एक के पैराग्राफ 245(डी) में दिये गये नियमों के अनुसार अग्रिम की कटौती श्री काली चरन के वेतन से 96 मासिक किस्तों में रू0 830/- की दर से वसूल की जायेगी, जिसमें अन्तिम किस्त रू0 1150/- की होगी। मूलधन की अदायगी के तुरन्त बाद ब्याज की किश्तों की अदायगी की जायेगी।

6· अग्रिम का प्रयोग किराया क्रय पद्धति के आधार पर या किश्तों पर मोटर कार खरीदने में नहीं किया जायेगा।

----2/

Request-123

7\. मोटर कार खरीदे जाने के एक माह के भीतर उसका कम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेंस करा दिया जाय और सम्बन्धित बीमा पालिसी का नवीनीकरण कराकर उस समय तक चालू रखा जाय जब तक अग्रिम पूर्ण रूप से भुगतान न कर दिया जाय । बीमे के सम्बन्ध में बीमा पालिसी या अन्य प्रमाणक मोटर कार मूल्य के प्रमाणक तथा बची हुई धनराशि यदि कोई हो तो शासन को लौटाने की तिथि की सूचना के साथ न्यायालय को भेजी जाय ।

8\. शासन/न्यायालय द्वारा अपेक्षा किये जाने पर अथवा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पर दर्शाये शेष धनराशि ब्याज सहित एक मुश्त में देय होगी ।

9\. इस सम्बन्ध में हुए व्यय चालू वित्तीय वर्ष-1998-99-के आय-व्ययक में वित्त विभाग को अनुदान संख्या 61 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-7610-सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज-आयोजनेतर 202 मोटर वाहन का क्रय करने के लिये अग्रिम -03-राज्य कर्मचारियों को मोटर वाहन क्रय करने के लिये अग्रिम- 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जाना चाहिये ।

दिनांक - 31.8.98

X [signature]
निबन्धक
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।
AK Srivastava
20.8.98

Order carried out vide Court's letter No 15417/1844 10/9/98

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.07 15:11:53 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad